रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED No. D(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 1978/पौष 9, 1900
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 1978/PAUSA 9, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1978

सा० का० नि० 1524.—कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 624क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० एन० बनर्जी, गवर्नमेंट प्लीडर, हुगली को, प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट, हुगली, पश्चिमी बंगाल के न्यायालय के समक्ष, ऊपर-कथित अधिनियम से उत्पन्न मामलों की पैरवी करने के लिए कम्पनी अभियोजक के पद पर नियुक्त करती है।

[सं० 9/1/78-सी०एल०4]
बी० बी० बरुरी, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 12th December, 1978

G.S.R. 1524.—In exercise of the powers conferred by section 624A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri S. N. Benerjee, Government Pleader, Hooghly, as Company Prosecutor for conducting the case arising out of the aforesaid Act before the court of First Class Magistrate Hooghly, West Bengal.

[No. 9/1/78-CL. IV]
B. B. BARURI, Under Secy.

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 1978

सा० का० नि० 1525.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 में निम्नलिखित और संशोधन करती है :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, तमिलनाडु से संबंधित मद 8 में, उच्च न्यायालय, मद्रास से संबंधित उपमद (क) के सामने स्तम्भ

Phenobarbital.
Pipradrol.
Phencyclidine.
Phenmetrazine.
Pentobarbital.
Psilocine.
Psilocybin.
Secobarbital.

S.P.A. (-)-1-dimethylamine-1, 2-diphenylethane) STP, DOM 2-amino-1 (2, 5-dimethoxy-4-methyl) Phenylpropane,

Tetrahydrocannabinols (all isomers).

NOTE.—1. Any stereoisomeric form of the substance specified in this Schedule, any salt of the substance and preparation containing such substances are also covered by this Schedule.

2. Preparations containing the above substances are also covered by this Schedule."

[No. X. 11013/7/77-DMS&PFA]
G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1978

सा०का०नि० 1535.—संविधान के अनच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा बी०सी०जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, मद्रास में सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) लिपिकवर्गीय प्रशासन अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बी०सी०जी० वैक्सीन प्रयोगशाला, गिण्डी, मद्रास (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम 1978 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे ।

2. संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतनमान वही होंगे जैसा कि अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में निर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हतायें आदि : उक्त पदों पर भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हतायें तथा अन्य बातें वही होंगी जैसा कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में निर्दिष्ट है ।

4. अनर्हता : कोई व्यक्ति;

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है जिसका कि पति या जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा

(ख) जो व्यक्ति एक पति/एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता/करती है अथवा विवाह की संविदा करता/करती है; सेवा में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्षकार पर लागू होने वाली स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है ।

5. छूट देने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार का यह विचार हो कि छूट देना आवश्यक या उचित है वहां वह संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से और लिखित कारणों के आधार पर आदेश द्वारा किसी श्रेणी या वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों को इन नियमों के किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है ।

6. व्यावृत्ति : इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये जिन आरक्षणों, आयु-सीमा में ढील और अन्य रियायतों की व्यवस्था करना अपेक्षित है, उन पर इन नियमों को किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या सेलेक्शन पद अथवा गैर सेलेक्शन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं
1	2	3	3	5	6	7
प्रशासन अधिकारी	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, लिपिकवर्गीय	840-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये	लागू नहीं होता है	35 वर्ष से अनधिक (सरकारी कर्मचारियों के लिए शिथिल की जा सकती है) । नोट : आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख होगी ।	अनिवार्य : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या इसके समतुल्य । (2) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक निकाय अथवा प्रतिष्ठित वाणिज्यिक संगठन में पर्यवेक्षक की हैसियत से प्रशासनिक सेवा सम्बन्धी और स्थापना सम्बन्धी कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव । (अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा

1	2	3	4	5	6	7
						सकती हैं, विशेष रूप से अनुभव सम्बन्धी अर्हता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में उनके लिए आरक्षित पदों के लिए, शिथिल की जा सकती हैं)। वांछनीय : सरकारी नियमों तथा विनियमों की जानकारी।

क्या पदोन्नति से रखे जाने वाले उम्मीदवारों के मामले में सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति के द्वारा अथवा स्थानान्तरण के द्वारा तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण के द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका क्या गठन है	परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा अन्यथा सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : केन्द्रीय/राज्य सरकारों के अधीन समान पदों पर कार्य कर रहे अधिकारी या 650-1200/550-900 रुपये के वेतनमान में क्रमश: 3/5 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिकारी या इसके समतुल्य तथा प्रशासन, स्थापना और लेखा सम्बन्धी अनुभव रखने वाले। (प्रतिनियुक्ति अवधि सामान्यतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों को स्थायी बनाने के लिए)।	सीधी भर्ती करते समय तथा किसी राज्य सरकार से किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।

[सं० ए० 12018/3/77-पी० एच०]
पूर्णिमा जैन, अवर सचिव

New Delhi, the 18th December, 1978

G.S.R. 1535.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the General Central Service Group 'B' (Gazetted) Ministerial post of Administrative Officer in the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the BCG Vaccine Laboratory Guindy Madras (Group 'B' post) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay :—The number of the said post, its classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications :—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualification : No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or,

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any peeson,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person.

6. Savings :—Nothing in this rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

[No. A. 12018/3/77-PH]
PURNIMA JAIN, Under Secy.

SCHEDULE

Recruitment rules for the post of Administrative Officer, B.C.G. vaccine Laboratory, Guindy, Madras.

Name of post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection Post or non-Selection Post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
Administrative Officer	1	General Central Service Group 'B' Gazetted Ministerial	Rs. 840-40-1000-EB-40-1200.	N.A.	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Govt. servants). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands & Lakshadweep)	Essential : (i) Degree of a recognised University or equivalent. (ii) 5 years' experience of administration, accounts and establishment work in a supervisory capacity in a Govt. office or a Public Body or a commercial organisation of repute. (Qualifications relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well-qualified; in particular, the qualification regarding experience is relaxable in case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes for posts reserved for them). Desirable: Knowledge of Government Rules and Regulations.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which U.P.S.C. is to be consulted in making rectt.
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By transfer on deputation failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation: Officers under the Central/State Govts. holding analogous posts or with 3/5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 650-1200/550-900 or equivalent respectively and having experience in the administration, establishment and accounts matters. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years).	Group 'B' DPC For considering confirmation of a direct recruits.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment and appointing an officer from a State Govt. on deputation.

[No. A-12018/3/77-PH]

SMT. PURNIMA JAIN, Under Secy.